न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः- श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 206/2022

भूरा पुत्र हरलाल जाति गुर्जर निवासी खण्डाच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

प्रार्थी

विरूद्ध

1. सुवा पुत्र रंगलाल
2. बन्ना पुत्र सुवा
3. धन्ना पुत्र सुवा
4. गोपी पुत्र सुवा
5. सत्यनारायण पुत्र सुवा सर्व जाति गुर्जर सर्व निवासी ग्राम खण्डांच तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
6. सजना पत्नि गोपाल पुत्री सुवा जाति गुर्जर निवासी डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
7. बन्नी पत्नि गणेश पुत्री सुवा जाति गुर्जर निवासी पेडीभाटा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थन।
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
9. उपपंजीयक किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक 5/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद में समय लगना स्वाभाविक है इस कारण उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की माता सुवा पत्नि सुवा के नाम की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह– खातेदारी है जो सुवा पत्नि सुवा के फौत होने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 विधिक वारीसान होने से पक्षकार कायम किया गया है जो भूमि आराजी ग्राम खण्डांच पटवार हल्का खण्डाच तहसील किशनगढ में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1068/758 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी का 19/24 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7(मृतक माता सुवा पत्नि सुवा) का 5/24 हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी में अधिकार अभिलेख में इन्द्राज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है परन्तु उपरोक्त आराजी का अधिकार अभिलेख व राजस्व ट्रेस में विधिक विभाजन नही होने से आराजी में बुवाई जुताई, हकाई, निराई, गुडाई के समय मेड , नींव, सींव को लेकर मनमुटाव हो जाता है जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो जाता है जिससे सामाजिक समरसता का विघटन होता है माननीय न्यायालय के समक्ष विभाजन/बंटवारे की डिकी प्राप्त करने हेतु वाद पेश करना आवश्यक हुआ है जिससे प्रार्थी का अलग से राजस्व ट्रेस में निहित हिस्से की तरमीम एवं खसरा रकबा एवं जमाबन्दी होने से विवाद उत्पन्न नही होगा इसी कारण विभाजन का वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन ,अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है चुंकि प्रार्थीगण सहखातेदारी की आराजी में अपने हिस्से पर कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग करते आ रहे है अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक रूप से अवैध कृत्य करके प्रार्थी को मौके से बेदखल कर अतिचार , अतिक्रमण करने पर आमादा कर अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान हस्तान्तरण करने पर उद्दत्त है अप्रार्थीगण अपने अवैध मनसूबे में कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थी को अपुर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार किया जाना सम्भव नही होगा।प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की माता सुवा पत्नि सुवा के नाम की संयुक्त कब्जे काश्त एवं सह– खातेदारी है जो सुवा पत्नि सुवा के फौत होने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 विधिक वारीसान होने से पक्षकार कायम किया गया है जो भूमि आराजी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

च पटवार हल्का खण्डाच तहसील किशनगढ में अवस्थित है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 8/758 रकबा 0.9708 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी का 19/24 हिस्सा में अप्रार्थी संख्या 1 गायत 7 व इसके नौकर, चाकर, एजेन्ट, परिवारजन एवं विधिक प्रतिनिधि आदि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की प्रार्थी के कृषि कार्य में किसी प्रकार से मदाखलत उत्पन्न नही करे, प्रार्थी को मौके से बेदखल नही करे एवं आराजी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारीत नही करे। वर्णित आराजी का अन्य दिगर व्यक्ति/अजनबी व्यक्ति को विधिक विभाजन नही हो जब तक बैचान, हस्तान्तरण रहन नही करने हेतु पाबन्द किया जावें एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें कि मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.12.2022 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01, 04 ,06, 07 की ओर से वकील श्री डी.सी.सेठी द्वारा वाद में वकालतनामा पेश किया किन्तु दिनांक 06.05.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 06.05.2024 को उनका जवाब बन्द कर दिया गया। दिनांक 19.11.2024 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस तथा उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को वादअधीन भूमि खसरा संख्या 1068/758 में परस्पर एक दूसरे के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने, कब्जे में मदाखलत नहीं करने तथा उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने के लिये मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 4/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)